ई मेल/सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय,

महानगर लखनऊ 226006

पत्रांक–टीएस–सीसीटीएनएस–87/2014–3 दिनांक:लखनऊ:मार्च 08, 2019

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
पुलिस अधीक्षक, रेलवे, समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश।
कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए, समस्त जोन/परिक्षेत्र/जनपद।

विषय:– एस0आर0 मुकदमों में किता की गयी केस डायरी को पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण किए जाने से सम्बन्धित लिए **"SOP (Standard operating procedures** मानक संचालन प्रकियाएं**)"** उपलब्ध कराये जाने विषयक।

जनपदों में प्रचलित एस0आर0 पत्रावलियों का पर्यवेक्षण किए जाने हेतु सीसीटीएनएस पोर्टल पर क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक सहित परिक्षेत्रीय एवं जोनल अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण किए जाने से सम्बन्धित **SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रकियाएं)** तैयार की गयी है। जनपदों में नियुक्त समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए एवं आप स्वयं अपने स्तर से इस प्रकिया का भलीभॉति अवलोकन करें एवं तदनुसार अनुपालन कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2. सीसीटीएनएस पोर्टल पर भी जनपदों में प्रचलित एस0आर0 पत्रावलियों का अवलोकन एवं पर्यवेक्षी टिप्पणी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

3. उक्त व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए जनपद लखनऊ में इसका पायलेट टेस्टिंग विगत 03 माह से किया जा रहा था। उक्त पायलेट टेस्टिंग में इस व्यवस्था को और पुनरीक्षित कर **SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रकियाएं)** के साथ प्रेषित किया जा रहा है जिससे सभी सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/ अपर पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ परिक्षेत्र/ जोन के पर्यवेक्षी अधिकारी उक्त एस0आर0 मामलों में सीसीटीएनएस पोर्टल पर अपने यूजर आई0डी0 व पासवर्ड से पर्यवेक्षी टिप्पणी फीड कर सकते हैं।

4. उपरोक्त कार्य का कियान्चयन तत्काल शुरू किया जाय। उक्त एस0ओ0पी0 के क्रियान्वय में यदि किसी प्रकार की कठिनाई हो तो श्री विमर्श द्विवेदी कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए मो0नं0 7007855054, श्री अनिल कुमार कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए मो0नं0 9935897077, श्री पंकज त्रिपाठी कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए मो0नं0 9140418182 एवं श्री सौरभ द्विवेदी कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ए मो0नं0 8181850846 पर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

8/3

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के जनरल स्टाफ आफीसर, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक (अपराध)

एस0आर0 मुकदमों में किता की गयी केस डायरी का पर्यवेक्षण सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में

1— आन लाइन किता की गयी एस0आर0 मुकदमों की केस डायरी के पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी (क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक इत्यादि) की लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से सीसीटीएनएस पर लॉगिन किया जायेगा। इसके उपरांत सीसीटीएनएस होम स्क्रीन सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी की लॉगिन निम्न प्रकार से खुलेगा।

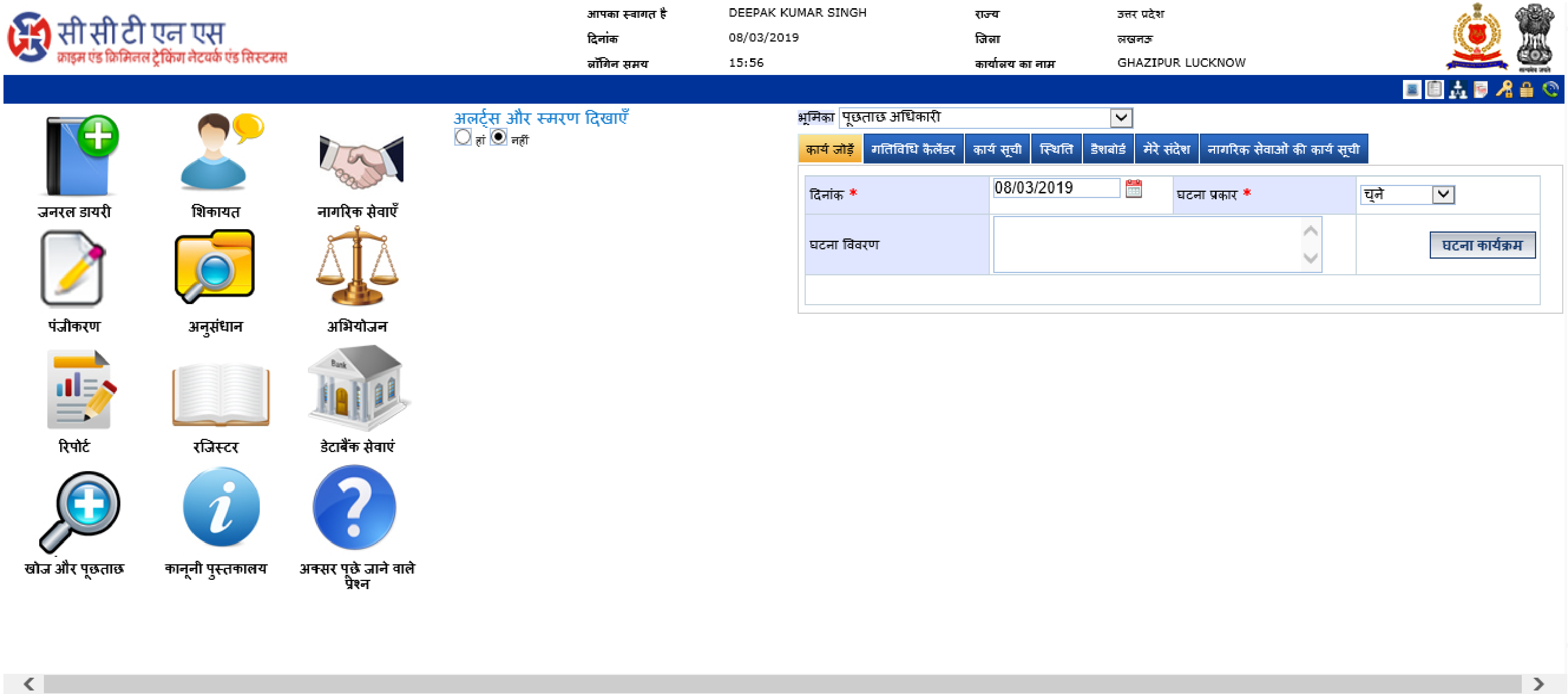

2– सीसीटीएनएस की उपर्युक्त खुली हुई होम स्क्रीन की अनुसधान आईकॉन के अन्तर्गत दो विकल्प मिलेगें–

1– प्रकरण दैनिकी 2– प्रकरण प्रगति रिपोर्ट

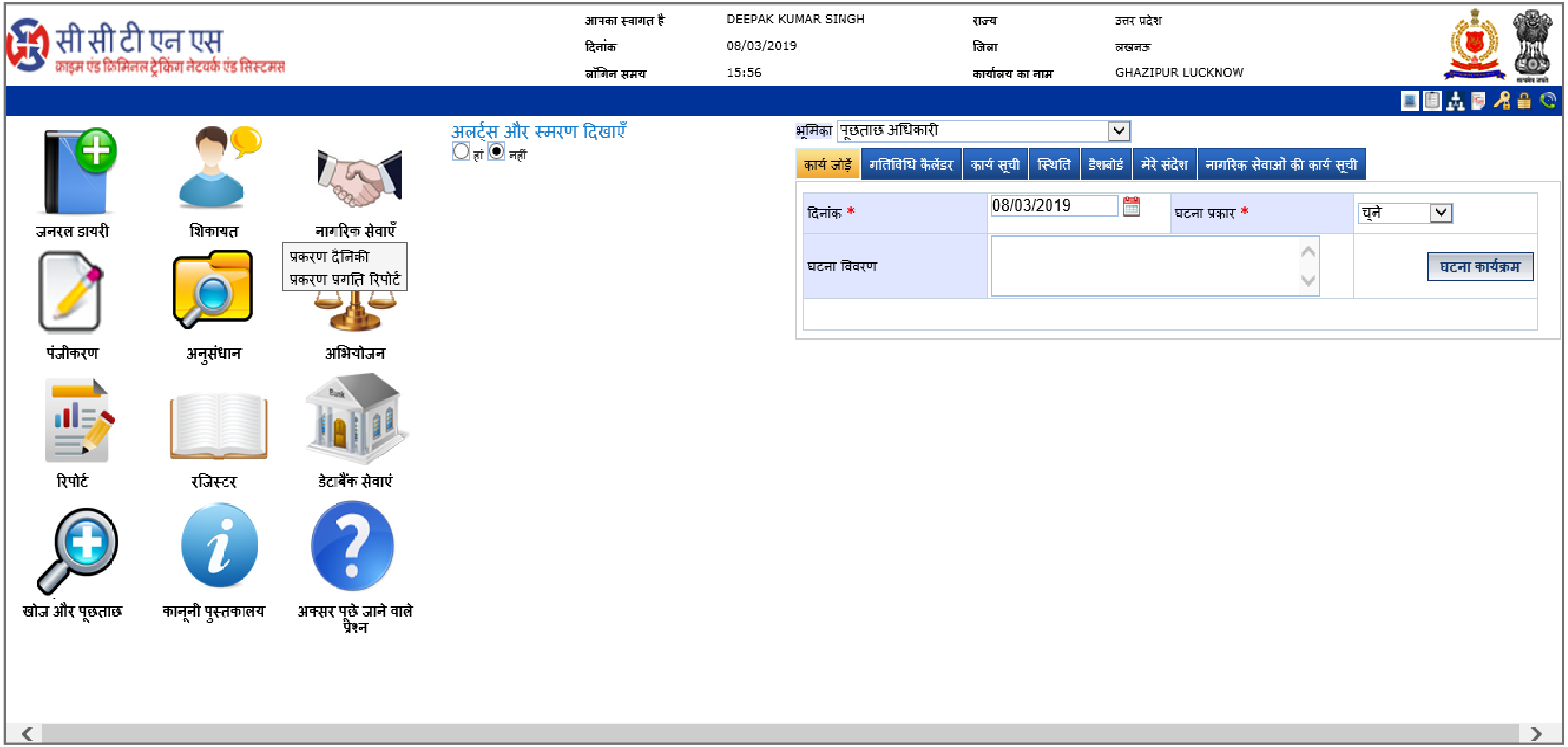

3– प्रकरण दैनिकी विकल्प के अन्तर्गत दो अन्य विकल्प मिलेंगे जो निम्नलिखित हैं–

1– प्रकरण दैनिकी विवरण देंखे ।

2– अपराध संग्रह को देखें और निर्देश/टिप्पणी जोड़े ।

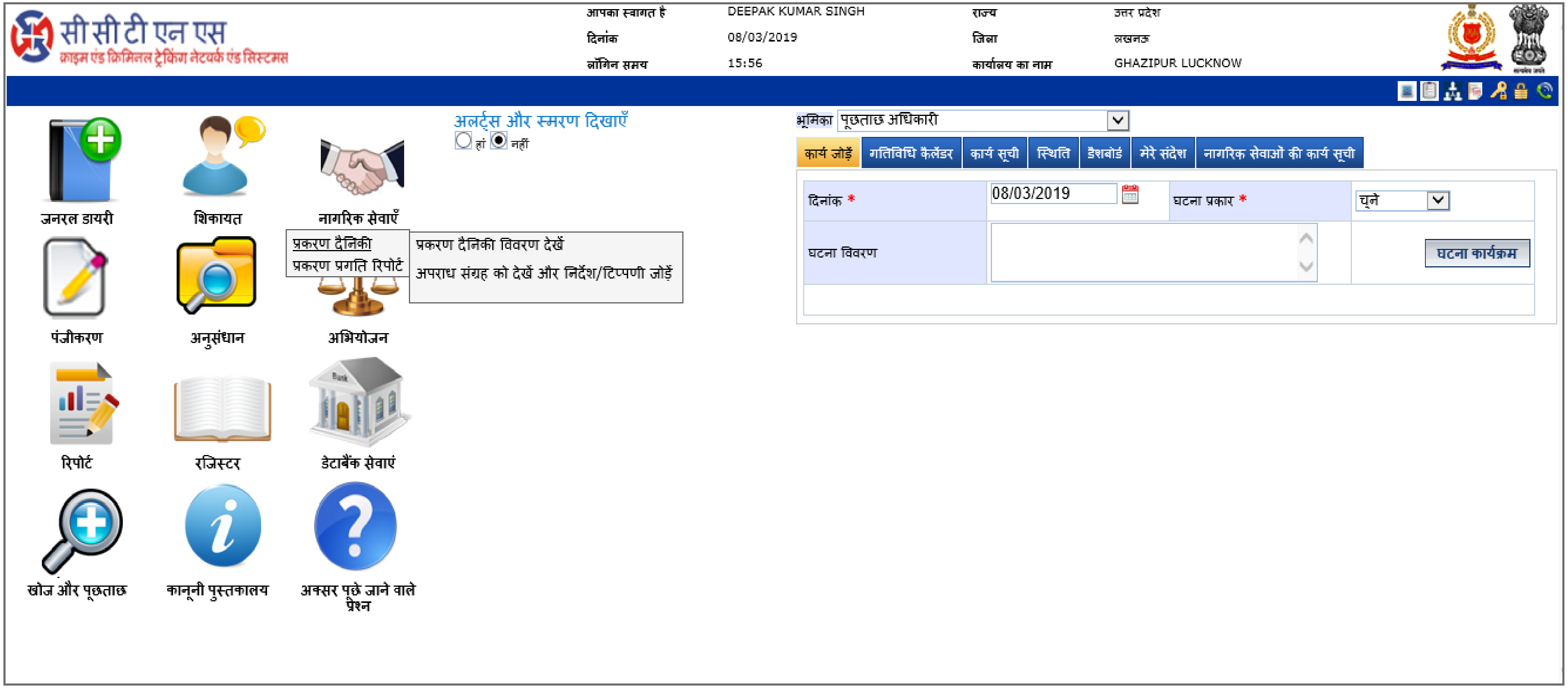

4– **प्रकरण दैनिकी विवरण देखें**– विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात निम्नलिखित सीसीटीएनएस विडों खुलेगी, जिसमें प्राथमिकी संख्या के अन्तर्गत सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या लिख कर खोजे बटन पर क्लिक करेगें।

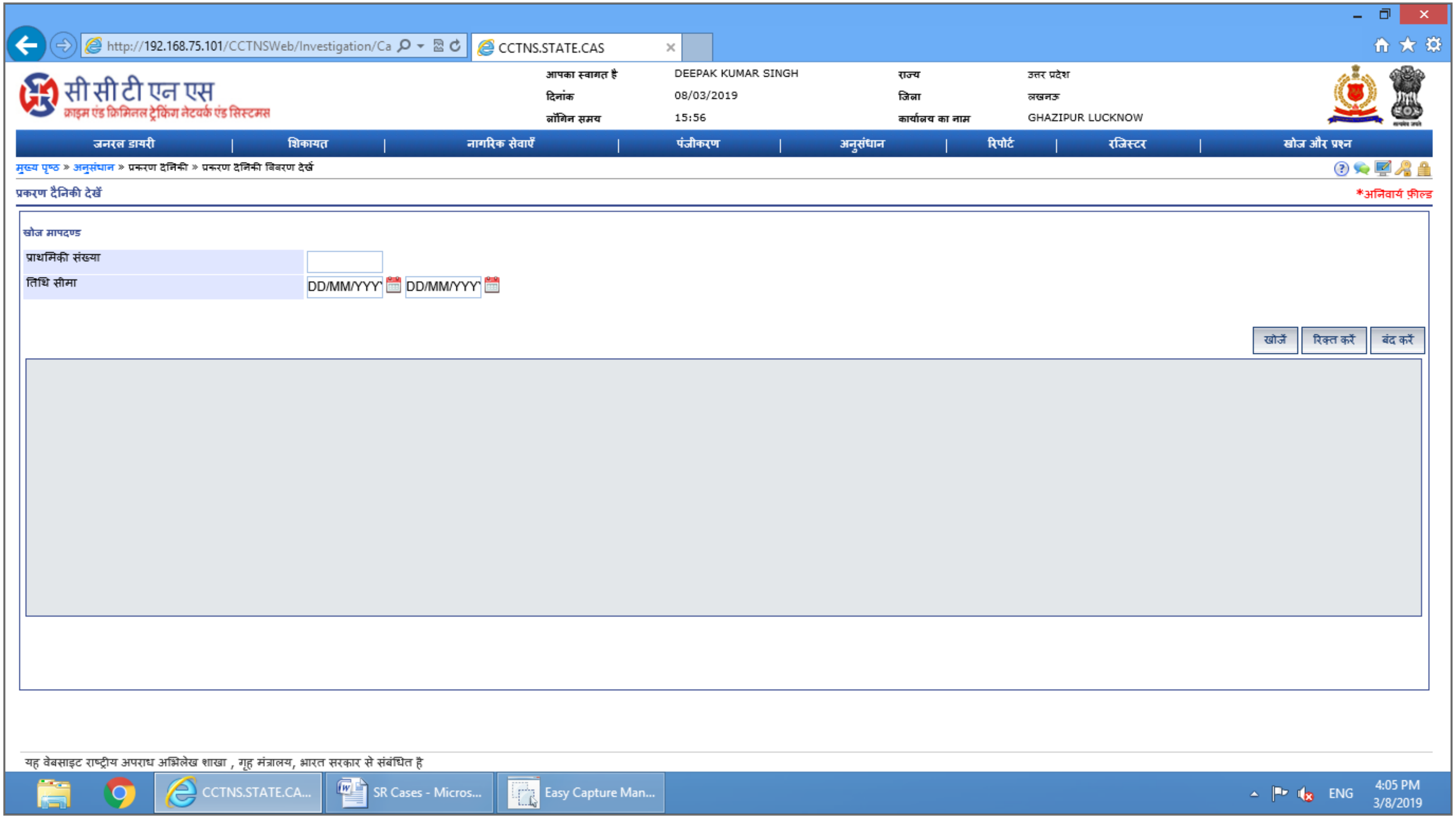

जिसके उपरान्त निम्न विडों खुलेगी जिसमें सम्बन्धित मुकदमें की समस्त किता की हुई केस डायरी प्रदर्शित होगी, जिसमें 07 कालम होंगे– कालम संख्या 03 (केस डायरी संख्या है) के अन्तर्गत सभी केस डायरी लिंक बटन के रूप में प्रदर्शित होंगे।

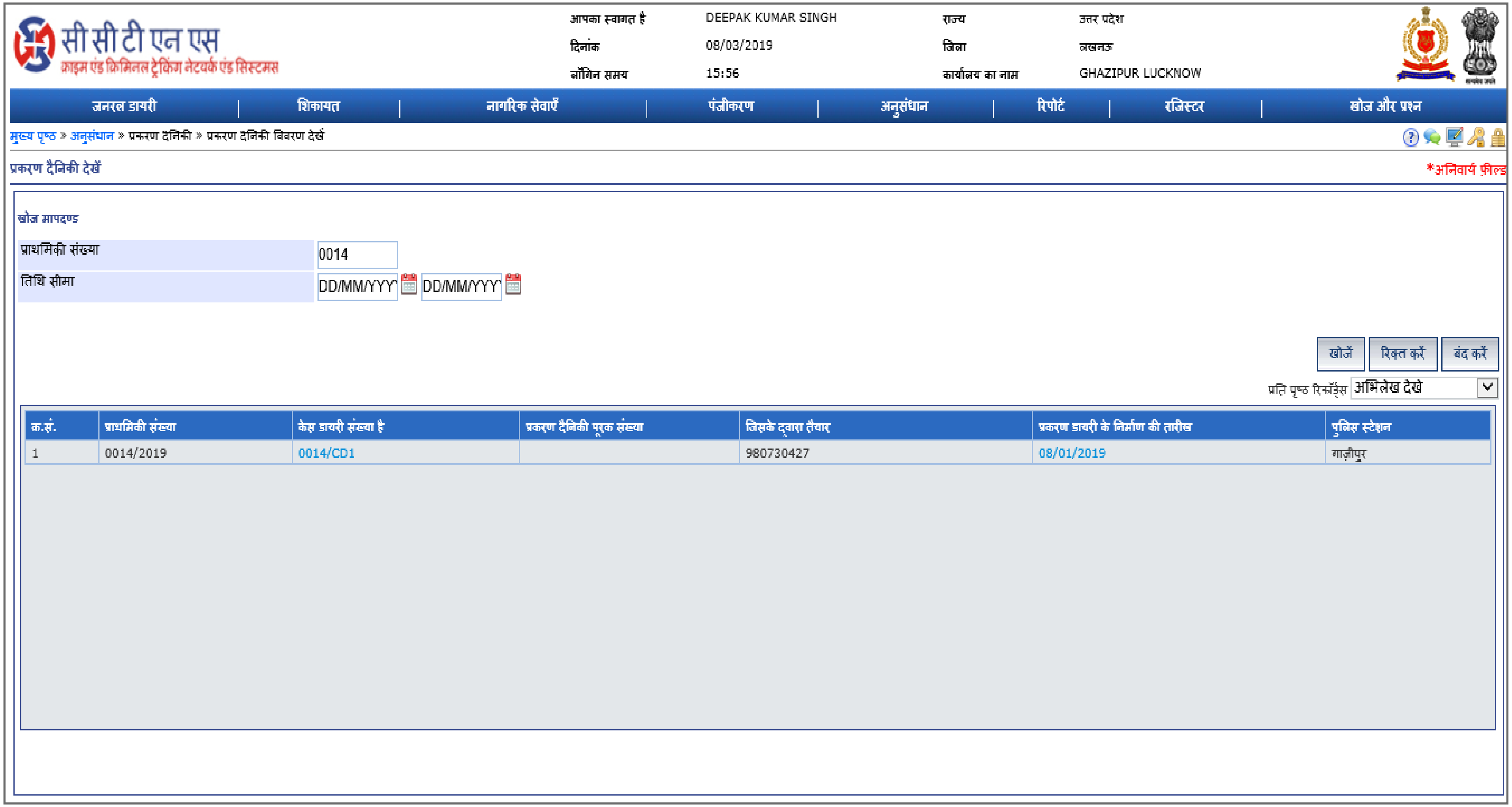

5– उपर्युक्त विंडों की किसी भी केस डायरी संख्या वाली लिंक बटन पर क्लिक करने के पश्चात सम्बन्धित केस डायरी में अंकित समस्त विवरण निम्नलिखित रूप (विंडों) में प्रदर्शित होगा–

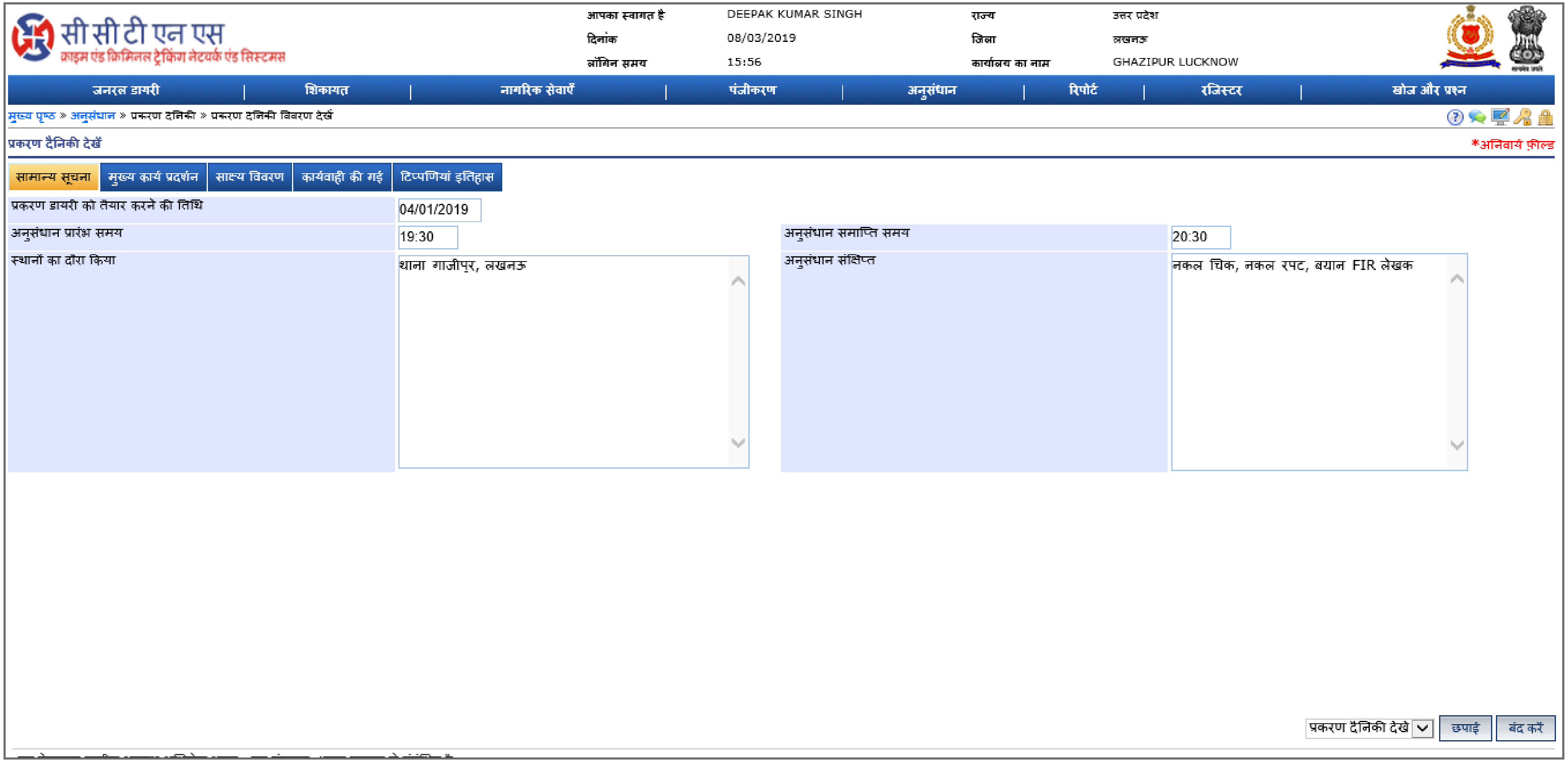

6– सम्बन्धित समस्त केस डायरी के अवलोकन के पश्चात विवेचक को निर्देशित करने/टिप्पणी करने हेतु **प्रकरण दैनिकी–> अपराध संग्रह को देखें और निर्देश/टिप्पणी जोड़े** विकल्प पर क्लिक करेगें।

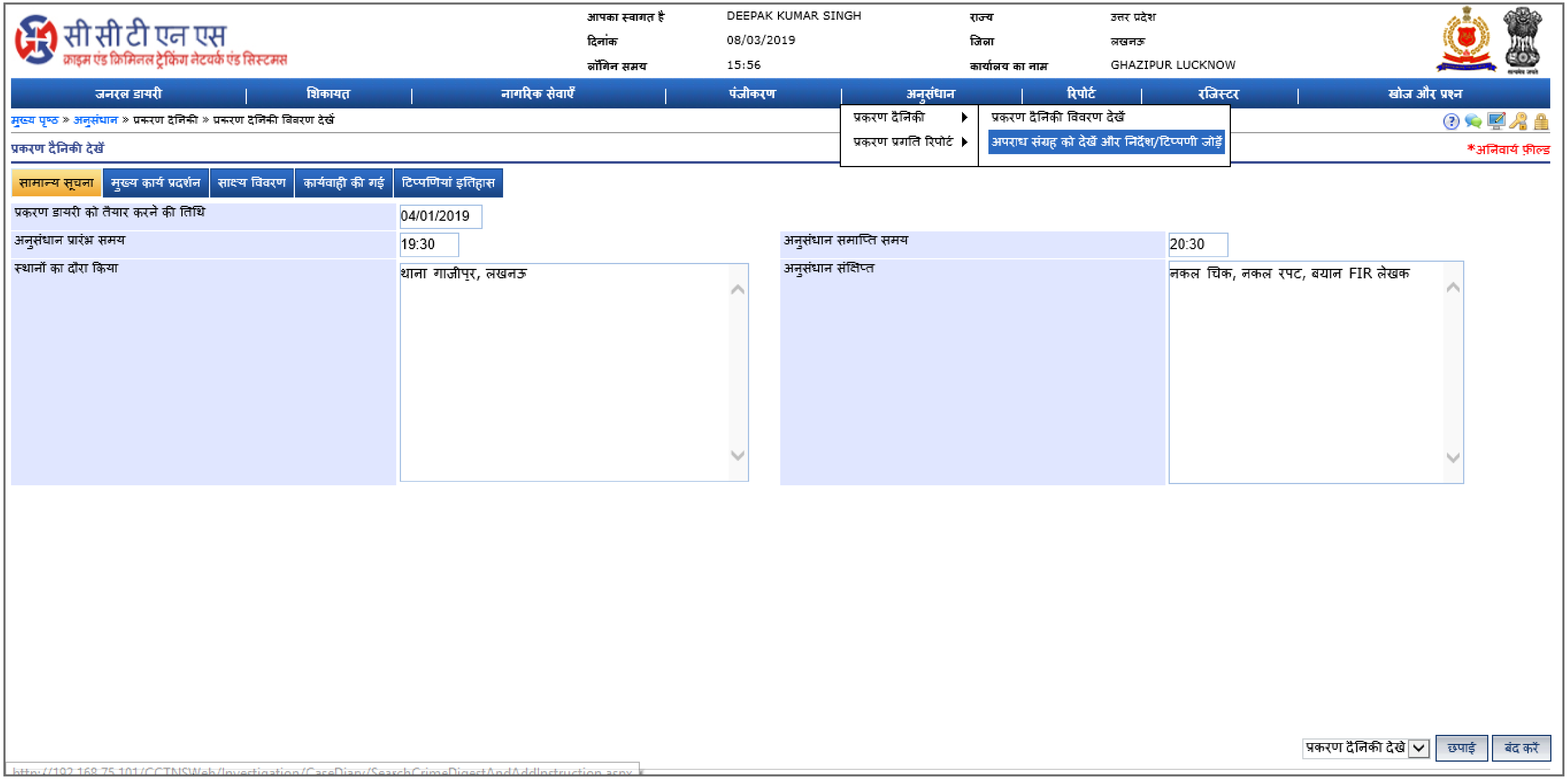

जिसके पश्चात सीसीटीएनएस की खुली हुई निम्नलिखित विडों में प्राथमिकी संख्या (मुकदमा अपराध संख्या) अंकित करने के पश्चात खोजें बटन पर क्लिक करेंगे।

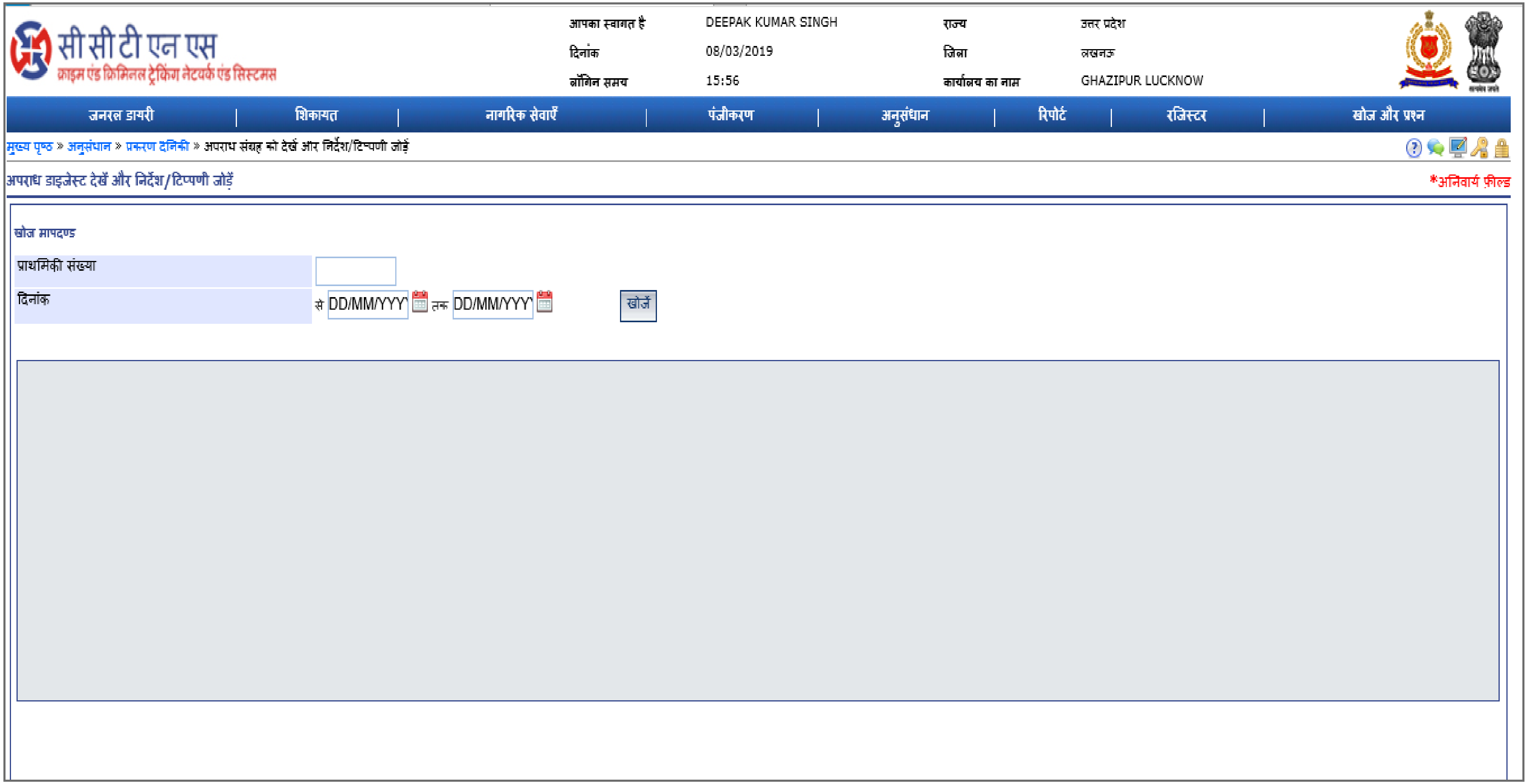

उपर्युक्त विडों के कालम सं–03 (केस डायरी संख्या है) के लिंक बटन पर क्लिक करने के पश्चात सम्बन्धित मुकदमें की केस डायरी विवरण प्रदर्शित होगी और टिप्पणी अंकित करने हेतु टैक्सट बाक्स (निर्देश टिप्पणी) प्रदर्शित होगा, जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण अधिकारी निर्देश/टिप्पणी अंकित करने के पश्चात **जमा करें** बटन पर क्लिक करेगें। जिससे अंकित निर्देश/टिप्पणी सम्बन्धित विवेचक/ थाना प्रभारी की आई0डी0 पर प्रदर्शित होगा।